न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या 13/2012-13

रंजना कुमारी ---------------------अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य -------------------रेसपोण्डेन्ट

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद श्रीमती रंजना देवी, पति - श्री उपेन्द्र तिवारी, ग्राम पटुआहा, टोला- भेड़धरी वार्ड सं0- 37, आँगनबाड़ी केन्द्र सं0- 76, थाना व जिला- सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या- 76 में आँगनबाड़ी सेविका चयन में हुई अनियमितता एवं अवैध चयन प्रकिया बाल विकास परियाजना पदाधिकारी, कहरा एवं अन्य प्रतिवादी द्वारा सम्पन्न कराने के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है ।

वाद पुकारा गया, उभय पक्षों के कागजातों का अवलोकन किया गया तथा वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना जो पाया कि यह वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है । निष्कर्षतः उक्त वाद सर्वप्रथम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में अपीलकर्त्ता को वाद दाखिल करना चाहिए था जिसकी अनदेखी करते हुए उक्त वाद दायर किया गया जो यहाँ चलने योग्य नहीं है । अपीलकर्त्ता के दावा को अस्वीकृत किया जाता है एवं निदेशित किया जाता है कि अपीलकर्त्ता सक्षम न्यायालय में अनुतोषों के लिए वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है ।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

04/9/13

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा ।

04/9/13

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा ।